धारा 11 C.P.C. का पेश किया जिसकी एक प्रति वकील
प्रतिवादी को दिलवादी गई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी
द्वारा बहस दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली में शामिल रहे।
अतः पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना 07R11CPC
वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत अधीन धारा
11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु दि. 14/05/24
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

C/N — 158/22

14/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. प्रतिवादी
सं. 6 लगायत 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07R11 CPC
वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत अधीन धारा
11 C.P.C. का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से
तैयार कर पत्रावली में शामिल किया। वादी का
वाद 07R11 C.P.C. के तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से खारिज
हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद पत्र संख्या 158/2022

1. मंदिर मूर्ति युगल किशोर जी महाराज जरिये आराधक श्री भागीरथ वैष्णव पुत्र स्व0 श्री सीताराम वैष्णव, जाति वैष्णव निवासी खवाखस भैरू जी की गली, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ वगै0

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0

दिनांकः 14/05/2024

उपस्थितः श्री हनुमान प्रसाद शर्मा वादीगण अभिभाषक
श्री विक्रम पुरोहित प्रतिवादी सं0 7 अभिभाषक

आदेश

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 को प्रतिवादीगण सं0 6 लगायत 8 द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि–

2.1 प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 की ओर निवेदन किया गया है कि वादीगण ने निम्न अधिकारिता का वाद प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। वाद अधीन आराजी बाबत् पूर्व विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0 9 लगायत 13 के मध्य प्रकरण/विवाद न केवल राजस्व अपील अधिकारी महोदय अपितू राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारित हो चुके है। वाद अधीन आराजी के सम्बन्ध में विधिक खातेदार के प्रार्थीगण के पक्ष में धारा 90ए की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की कृषि आराजी के भूमि के कुछ भाग की क्षेत्रफल कुल रकबा 1.9998 यानि की 23919 वर्गमीटर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित किये जाने के आदेश किये जा चुके है तथा नगर परिषद किशनगढ़ के यहा समर्पण किये जाने, राजस्व अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रारूप 6 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अनुसरण दिनांक 06.09.2022 में प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अतः धारा 91ए होने के कारण तथा भू परिवर्तन होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकारी नहीं है। वर्तमान में उक्त वाद अधीन कृषि आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी है तथा न्यायालय के आदेश/डिक्री के अनुसरण में प्रार्थीगण सं0 6, 7 व 8 के पक्ष में विधिक बैचान किया गया। अतः वर्तमान में वाद अधीन कृषि आराजी को जिस प्रकार वादीगण बता रहे है राजस्व रिकार्ड में अस्तित्व नहीं है। विधिक खातेदारों के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। राजस्थान वेक्सीनेशन लिटीगेशन "प्रीविनशन" एक्ट 1915 के प्रावधानों के अनुसार भी उक्त वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि वाद अधीन कृषि आराजी के सन्दर्भ में कोई भी प्रकरण निर्णित होने के बाद उसी कृषि आराजी पर गलत तथ्यों के आधार पर बार–बार वाद पोषणीय नहीं है। अतः उक्त वाद को भी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में शून्य का क्षैत्राधिकार नहीं है। वाद अधीन कृषि आराजी के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 के पक्ष में न्यायालयों के आदेश/डिक्री के अनुसरण में दी गई खातेदारी अधिकार को जब न केवल राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर की डिक्री एवं आदेश दिनांक 07.10.2010 को कभी भी खारिज नहीं किया न ही अपास्त किया। इसका आशय यह है कि उक्त आदेश आज भी अस्तित्व में है तथा उक्त आदेश के अनुसरण में अमल में लाई गई समस्त विधिक कार्यवाहियों में अब किसी प्रकार का परिवर्तन करने का माननीय न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अतः इस अनुरण में भी माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसरण में वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

3. वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का जबाव मय प्रारम्भिक आपत्ति के पेश कर निवेदन किया कि दावा पेश करते समय ख0नं0 186 रकबा 91–18–00 सम्पूर्ण जमीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन कृषि थी तथा दावा पेश करने की दिनांक की स्थिति के अनुक्रम में यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन अवधारणीय है। उपरोक्त भूमि मूलतः वादी मंदिर के खातेदारी की रही है एवं इस बाबत् यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 में यह माना गया था कि, मंदिर के हित अधिकार राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.10.2010 से प्रभावी नहीं होते है एवं तहसीलदार द्वारा मंदिर की भूमि के बाबत्

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

गलत रूप से पुजारी का नाम दर्ज किया गया है जिसकी घोषणा का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अधीन इस न्यायालय को ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन रहता है। यह अर्जी उपरोक्त प्रतिवादी ने केवल मात्र इस प्रकरण की कार्यवाही को विलंबित कर, बाधित कर वाद के रहते हुये मंदिर की जमीन को खुर्द बुर्द करने के लिये प्रस्तुत किया है। वाद में नाबालिग मंदिर की तरफ से इस आशय की घोषणा चाही गयी है कि, वादी शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की उपरोक्त वाद में वर्णित भूमि जिसके बाबत् राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 07.10.2010 के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 को अविधिक रूप से दर्ज किया गया है को पुनः वापिस मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 14.05.2018 में निम्न आदेश किया था :–

"We are of the opinion that the petitioners/appellants have not joined temple as a party in the first appeal. The order which was passed under order 41 Rule 27 CPC is just and proper. However, it will be binding to the parties in proceedings namely the parties before the first appellate authority, Board of Revenue and before this Court and it will not be binding to the party who were not party in proceedings before the first appellate authority, second appellate authority, learned single Judge and this Court.

Counsel for the appellants contended that temple was not a party. In this regard, we made it clear that the order will be binding to the parties in proceedings.

The appeal stands disposed of."

ऐसी स्थिति में जब दिनांक 14.05.2018 का आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के अधीन हो गया था तो प्रतिवादी भूमिधारी को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अक्षरंश पालना की जानी चाहिये थी एवं यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 18.10.2010 को वादी मंदिर का नाम हटाकर प्रतिवादी का नाम दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 के अनुक्रम में वादी मंदिर पर राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय प्रभावी ही नहीं था। यह तथ्य कई निर्णय से तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहत्त पीठ द्वारा निर्णय किया जा चुका है कि, मंदिर की जमीन के बाबत् पुजारी को किसी भी रूप में खातेदारी नहीं प्रदत्त की जा सकती है। आदेश 7 नियम 11

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

सी0पी0सी0 के अवधारण में वाद संस्थन की स्थिति एवं वाद अभिवचन को ही दृष्टिगत किया जाना आवश्यक, सारवान रहता है। जबकि वाद के अभिवचन के अनुसार यह वाद माननीय न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकारिता में ही न्यस्त करता है। हस्तगत वाद का वादी न तो राजस्व अपील अधिकारी, न ही राजस्व मण्डल, न ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, न ही माननीय उच्चतम न्यायलय में पक्षकार था। स्वयं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.05.2018 में इस बाबत् स्पष्टतः अंकन किया है कि

" We are of the opinion that the petitioners/ appellants have not joined temple as a party in the first appeal. The order which was pssed under order 41 rule 27 CPC is just and proper . however, it will be binding to the parties before the first applellate authority, board of revenue and before this court and it will not be binding to the party who were not party in proceedings before the first applellate authority, second appellate authority learned single judge and this Court.

Counsel for the applellants contended that temple was not a party. In this regard, we made it clear that the order will be binding to the parties in proceedings.

The appeal stands disposed of."

तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिनांक 02.11.2018 को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 की ही पुष्टि की है। जिसके रहते हुए जिस निर्णय को प्रतिवादी आधारित कर रहा है उसी निर्णय दिनांक 14.05.2018 को आधारित कर वादी ने नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितों के अधीन यह दावा नाबालिग की सम्पत्ति के बाबत् गलत रूप से बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अधिकारी परिवर्तन के अनुक्रम में रिकार्ड शुद्धिकरण सहित अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वैसे धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की भी इस बाबत् विशिष्ट रूप से प्रावधान करती है। उपरोक्त भूमि आज भी मौके पर कृषि ही है, मौके पर कोई आवासीय जन्य कॉलोनी जैसा कोई विकास नहीं हुआ है, दावा पेश करते समय उपरोक्त भूमि कृषि श्रेणी थी तथा धारा 91–ए का जो आदेश जारी किया गया है वह कूटरचित, कपटपूर्ण आम सूचना अखबार पर वादी की आपत्ति के रहते हुए मंदिर भूमि के बाबत् जारी किया गया है। धारा 90–ए के अधीन मंदिर की भूमि के अधिकारों का समर्पण होना अनुज्ञात ही नहीं है। जहां तक धारा 91–ए का उल्लेख किया है, धारा 91–ए तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के बाबत् ही रहता है एवं नाबालिग मंदिर मूर्ति के संरक्षक लोक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अधिकारी होने से यदि धारा 91–ए के अधीन कार्यवाही है तो वह उचित है। जब पुजारियों के नाम नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 की त्रुटियुक्त है तो उसके पश्चात् उनके द्वारा किया गया सारा संव्यवहार भी पूर्णतः गलत है। वैसे भी नाबालिग की सम्पत्ति का बैचान जन्म से ही शून्य रहता है तथा माननीय न्यायालय इस पहलू को भी दृष्टिगत करेगी कि, नामान्तकरण दर्ज दिनांक 18.10.2010 को हुआ उसके दूसरे दिन दिनांक 19.10.2010 को किस प्रकार प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है। यह पहलू कानूनन सुस्थापित है कि a **document which is abinitio void it is not necessary to get the cancellation of document.** प्रतिवादी ने न्यायालय को भ्रमित किये जाने की गरज में "राजस्थान वेक्सीनेशन लिटीगेशन "प्रीविनशन" एक्ट 1915" का उल्लेख किया है ऐसा कोई अधिनियम वर्ष 1915 का वादी के संज्ञान में नहीं है। जहां तक वादी को जानकारी है वर्ष 1915 में राजस्थान राज्य का गठन हीं नहीं हुआ था। वैसे भी कोई वाद तार्किक है अथवा बेग यह पहलू साक्ष्य से ही अवधारित किया जा सकता है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी भी प्रत्यक्ष व परोक्षतः यह स्वीकार करता है कि, साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् ही इस पहलू को अवधारित किया जावें एवं साक्ष्य का बिन्दू आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 की सीमाओं में नहीं आता है। जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 14.05.2018 के आदेश में यह अवधारित कर अंतिम निर्णय तर्को का विवेचन कर, कर चुकी है कि, वादी नाबालिग मंदिर मूर्ति न तो राजस्व अपील अधिकारी, न ही राजस्व मण्डल में पक्षकार नहीं था इसी कारण से मंदिर के हित प्रभावित नहीं होने के कारण दिनांक 14.05.2018 के आदेश में उल्लेखित किया गया था। यहां पर यह उल्लेख किया जाना पूर्णतः सुसंगत रहेगा कि, प्रस्तुत प्रकरण के प्रतिवादीगण में से किसी ने भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को यह कथन नहीं किये थे कि, मंदिर पक्षकार नहीं होते हुए भी दिनांक 07.10.2010 के आदेश के जरिये मंदिर का नाम विलोपित किया गया है। यह कानूनन रूप से स्पष्ट है कि, जब कोई पक्ष किसी प्रकरण में पक्षकार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस पक्ष पर आदेश प्रभावी नहीं होता है। यह पहलू भी साक्ष्य से ही विचारण किये जाने योग्य है। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त एवं प्रकरण का शीघ्रतः गुणानुगुण निस्तारण करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद अधीन आराजी बाबत् पूर्व विभिन्न राजस्व न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

द्वारा प्रतिवादी सं0 9 लगायत 13 के मध्य प्रकरण/विवाद न केवल राजस्व अपील अधिकारी महोदय अपितू राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारित हो चुके है। वाद अधीन आराजी के सम्बन्ध में विधिक खातेदार के प्रार्थीगण के पक्ष में धारा 90ए की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः धारा 91ए होने के कारण तथा भू परिवर्तन होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकारी नहीं है। वर्तमान में उक्त वाद अधीन कृषि आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी है तथा न्यायालय के आदेश/डिक्री के अनुसरण में प्रार्थीगण सं0 6, 7 व 8 के पक्ष में विधिक बैचान किया गया। अतः वर्तमान में वाद अधीन कृषि आराजी को जिस प्रकार वादीगण बता रहे है राजस्व रिकार्ड में अस्तित्व नहीं है। विधिक खातेदारों के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद अधीन कृषि आराजी के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं0 5 लगायत 8 के पक्ष में न्यायालयों के आदेश/डिक्री के अनुसरण में दी गई खातेदारी अधिकार को जब न केवल राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर की डिक्री एवं आदेश दिनांक 07.10.2010 को कभी भी खारिज नहीं किया न ही अपास्त किया। इसका आशय यह है कि उक्त आदेश आज भी अस्तित्व में है तथा उक्त आदेश के अनुसरण में अमल में लाई गई समस्त विधिक कार्यवाहियों में अब किसी प्रकार का परिवर्तन करने का माननीय न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अतः इस अनुसरण में भी माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। वकील प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत **2023(3) Civil Court cases 001 (s.c.) Ramisetty Venkatanna & Anr. Vs. Nasyam Jamal Saheb & Ors., 2021(2) CJ(Civ.)(Raj.) page 465 Sua Devi Vs. Shrawanram & Ors. 2019 Supp. (2) SAR (Civ) 1360 Shaukathussain Mohammed Patel Vs. Khatunben Mohmmedbhai Polara.** और **2012(2) RRT Page No. 1096 Ravindra Kumar Vs. Swapan Choudhary & Ors.** आदि पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसरण में वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

4.2 वकील वादीगण ने अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने यह वाद नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितो के संरक्षक बाबत् मंदिर मूर्ति का आराधक होकर प्रस्तुत किया है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के आदेश के रहते हुये भी मंदिर के हितों के प्रतिकूल राजस्व प्रविष्टि की गई है एवं तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष माननीय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट में पक्षकार थे। फिर भी उन्होने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर नाबालिग मंदिर मूर्ति की सम्पत्ति को अंतरण खुर्द–बुर्द किये जाने जैसे कृत्यों को एक प्रकार से अनुज्ञा, अनुमति दी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अप्राथी/प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष गलत कथन किये है। वह न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष विक्रय विलेख निरस्तीकरण के वाद में यह कथन करता है कि उपरोक्त श्रेणी के वाद को राजस्व क्षेत्राधिकारिता को सुनने का अधिकार है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष यह यह कथन करते है कि यह वाद सिविल क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय को सुनने का अधिकार है इस प्रकार एक ही बिन्दू पर समान पक्षकार द्वारा अलग–अलग न्यायालय के अलग–अलग कथन किया जाना केवल मात्र विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। इस पहलू पर प्रतिवादी की नाबालिग की सम्पत्ति को येन–केन प्रकरेण हड़प करने की मनस्थिति को परिलक्षित करता है। आदेश 7 नियम 11 अवधारण समय साक्ष्य के बिन्दू को दृष्टिगत नहीं किया जाना चाहिए तथा आदेश 7 नियम 11 के अवधारण समय केवल मात्र वाद अभिवचन ही निर्धारण के बिन्दू रहते है, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहत पीठ द्वारा अपने न्याय निर्णय में अवधारित किया है। धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का बिन्दू आदेश 7 नियम 11 के अधीन नहीं आता है इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति श्री **D.Y. Chandrachud** द्वारा **srihari hanumandas totala Vs Hemant Vithal kamat & Ors** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पहूल आदेश 7 नियम 11(डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद के निरस्तीकरण का आधार नहीं बन सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 14.05.2018 के पारित आदेश में स्पष्टतः यह निर्णय किया है कि उपरोक्त भूमि के बाबत् जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 07.10.2010 है। उसमें वादी मंदिर पक्षकार नहीं होने से वाद मंदिर के हित प्रभावी नहीं होते है जबकि तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त उपरान्त भी दिनांक 07.10.2010 के राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तकरण सं0 415 दिनांक 18.10.2010 के जरिये मंदिर के स्थान पर पुजारियों का नाम दर्ज किया गया एवं सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो यह भी है कि उपरोक्त दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश के प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ़ **Officer in Charge** थे। इस प्रकार माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट साक्ष्य है किस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी नाबालिग मंदिर मूर्ति की सम्पत्ति जिसे संरक्षक तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

किशनगढ़ के साथ–साथ अजमेर जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्वकर्ता जिला कलक्टर भी है। माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट प्रमाण उपलग्ध है किस प्रकार नाबालिग मंदिर मूर्ति की बहुमूल्य सम्पत्ति के बाबत् भूधारी (Land holder) द्वारा प्रतिवादीगण को लाभ पंहुचाने के लिए कार्यवाही की गई है। वादी इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष यह कथन करता है कि माननीय न्यायालय इस वाद की सुनवाई के बाबत् आदेश 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश से मार्गदर्शन बाबत् निम्न बिन्दू पर राय ली जावे। ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो जावे क्योंकि प्रकरण के किसी भी पक्षकार को यह अधिकार नहीं होता है कि वह न्यायालय को टूल बनाकर कार्यवाही करे :–

(अ) दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ में पारित निर्णय में मंदिर के हित राजस्व अपील अधिकारी के दिनांक 07.10.2010 के आदेश प्रभावी नहीं होने का आदेश किया है एवं उसके उपरान्त भी क्या वादी मंदिर की और से दिनांक 07.10.2010 के आदेश के आधार पर मंदिर का नाम हटाकर नामान्तकरण सं0 415 दिनांक 18.10.2010 की कार्यवाही उचित है क्या?

(ब) दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार भी पक्षकार था एवं उन्हे इस आदेश का संज्ञान रहते हुए भी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं0 415 दिनांक 18.10.2010 की त्रुटियुक्त प्रविष्टि को विलोपित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में क्या नाबालिग मंदिर मूर्ति की ओर से संस्थित वाद उक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन अधिकार घोषणा के अनुतोष अन्तर्गत धारा 88 के बाबत् संधारण योग्य रहता है क्या?

(स) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.05.2018 को पारित आदेश के जरिये राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.10.2010 का प्रभाव नाबालिग मंदिर मूर्ति वादी के हितो पर भी बाध्यकारी माना है क्या?

यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने केवल मात्र प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जिसे राजस्व अपील अधिकारी ने समय सीमा में निस्तारित किये जाने बाबत् निर्देश दिये है एवं प्रतिवादी उपरोक्त भूमि मंदिर के हितो के विपरित नगर परिषद के अधिकारियों से मिलीभगत कर खुर्द बुर्द करना चाहता है एवं इसके रहते हुए यह प्रार्थना पत्र दुर्भावयुक्त आशय से प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पैरा सं0 6 में "राजस्थान वेक्सीनेशन लिटीगेशन 'प्रीवेनशन' एक्ट 1915" का उल्लेख किया है जबकि उपरोक्त प्रतिवादी द्वारा वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

कोई अधिनियम 1915 का नहीं है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में जो उल्लेख किया है वह साक्ष्य से मौहताज है एवं साक्ष्य से मौहताज बिन्दू आदेश 7 नियम 11 के अधीन नहीं आते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 14.05.2018 के आदेश जिसमें उपरोक्त ख0नं0 186 रकबा 91–18–00 भूमि जो नाबालिग मंदिर मूर्ति के नाम नामान्तकरण सं0 415 दिनांक 18.10.2010 के पूर्व दर्ज थी एवं नाबालिग मंदिर मूर्ति राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं था। यह पहलू माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 08.08.2014 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के रहते हुए भी इस तथ्य का संज्ञान रहते हुए नाबालिग मंदिर मूर्ति को खुर्द–बुर्द किये जाने का कोई भी आदेश जन्म से ही शून्यता रखता है। उपरोक्त प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष संभागीय आयुक्त के समक्ष धारा 90(अ) के आदेश के विरूद्ध की गई अपील जो आज भी लम्बित है का लोप किया है। प्रतिवादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मंदिर की भूमि का रकबा 1.9998 हैक्टेयर माननीय न्यायालय को भ्रमित किये जाने के लिए अंकित किया है। आज भी उपरोक्त मंदिर की ख0नं0 186 रकबा 91–18–00 में से काफी भाग कृषि का है। अतः इस परिपेक्ष्य में भी वाद माननीय न्यायालय में ही अवधारणीय रहता है। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत **2016(1) RRT 485 S.C. The City Municipal Council Bhalki Vs. Gurappa, 2018 SAR (Civil) 739 Supreme Court Canara Bank Vs. N.G. Subbaraya Setty & Anr.** और **2007(4) WLC Raj Page 354 Dr. S.P. Mishra Vs. The N.C.E.R.T. & Anr.** आदि पेश कर प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 एवं शपथ व वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् कि ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0 पर बहस सुनकर उस पर मनन किया। वादीगण द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरित हो चुकी थी इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में राजस्व न्यायालय द्वारा संदेय वाद और आवेदन के बाबत् प्रावधान दिये गये है :–

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

"207. Suits and applications cognizable by revenue court only – (1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule Shall be heard and determined by a revenue court. (2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.

Elplanation- if the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted."

और उक्त कथन के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2012(2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 1096 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट विवेचन किया है :–

"The jurisdiction of Civil Court is saved as soon as the pure character of land in question as agriculture land, is lost and that becomes an abadi land though by virtue of some statute or de facto by user thereof for residential purposes or purposes other than agriculture."

जिसमें राजस्व अदालत को मात्र कृषि आराजी से सम्बन्धित वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित है जैसे ही आराजी की प्रकृति कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होगी उसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित हो जायेगा।

यह मान भी लिया जाए की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी उद्घोषणा के लिए पेश किया गया है जो यह विधिक स्थिति भी स्पष्ट है की वाद पत्र में वर्णित आराजी बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.10.2010 को बहाल रखते हुए प्रतिवादी सं0 3, 4 एवं उनकी माता विमला देवी के पक्ष में खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश दिनांक 02.11.2018 को पारित किया जा चुका है, यद्पि उस प्रकरण में मंदिर पक्षकार नहीं था किन्तु वादग्रस्त आराजी वही है जब पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है तो उसी विषय वस्तु के लिए पुनः खातेदारी अधिकार की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त प्रतिवादी सं० 6 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत् सपठित धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)